एफ सं. 9(18)/2011-जीएम
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

लोक उद्यम भवन,
ब्लॉक संख्या 14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003
दिनांक: 17 अप्रैल, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: महारत्न/नवरत्न धारक सीपीएसईज़ को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहायक कंपनी की परियोजना को मंजूरी - के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर डीपीई के दिनांक 26.10.2022 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लेने और यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि डीपीई का उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन वित्तीय संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना करने संबंधी शक्तियों के मुद्दे पर डीपीई के दिनांक 22 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3 में निहित नवरत्न सीपीएसईज़ और डीपीई के दिनांक 04.02.2010 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4.1 के उप-पैरा (viii) में निहित महारत्न सीपीएसईज़ को पहले से ही प्रत्यायोजित शक्तियों में परिवर्तन नहीं करेगा।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

17/4/23

(क्रांति कुमार)
सहायक निदेशक
दूरभाष: 24367792

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
(श्री पी. सोमाकुमार, अवर सचिव)
शास्त्री भवन एनेक्सी, नई दिल्ली

प्रतिलिपि: सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को उनके संबंधित नियंत्रणाधीन सीपीएसईज़ को सूचना और आवश्यक निर्देश देने के लिए।